

अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता हुआ साफ

नई नीति लागू होने के बाद डेवलपर और आरडब्ल्यूए 30 सितंबर तक नियमितीकरण के लिए कर सकेंगे आवेदन

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़— पंजाब सरकार राज्यभर में वर्षों से कानूनी मान्यता का इंतजार कर रही करीब 5,000 अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की तैयारी कर रही है। पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (पीएपीआर) नियमों में संशोधन के बाद सरकार नई नियमितीकरण नीति को जल्द अधिसूचित कर सकती है। इस नीति का उद्देश्य उन हजारों परिवारों को राहत देना है, जो अवैध कालोनियों में रहने के कारण अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री, निर्माण मंजूरी और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

नई नीति लागू होने के बाद कालोनियों के डेवलपर और रजिडेंट (वेलफेयर एसोसिएशन आरडब्ल्यूए) नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित किए जाने की संभावना है। सरकारी रिकॉर्ड के



कालोनियों को नियमित करने के लिए योजनाएं शुरू की थीं, लेकिन विभिन्न कारणों से इन योजनाओं को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। नई नीति में नियमों को सरल बनाकर उन कालोनियों को भी मौका देने का निर्णय लिया गया है, जिनके आवेदन पहले किसी कारण से अस्वीकार हो चुके थे। अब वे दोबारा आवेदन कर सकेंगे। नई नीति के तहत कम से कम 25 प्रतिशत विकसित हो चुकी

का प्रावधान रखा गया है। आवेदन मिलने के 30 दिन के भीतर अस्थायी नियमितीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था होगी। इसके बाद निर्धारित शुल्क जमा करने पर संपत्ति मालिक नियमितीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन्हें अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने और भवन निर्माण से जुड़ी आवश्यक मंजूरियां लेने में आसानी होगी।

आरडब्ल्यूए को भी कालोनियों की ओर से आवेदन करने का अधिकार दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए सभी जरूरी वैधानिक मंजूरियां और अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा। नियमितीकरण और कंपाउंडिंग शुल्क प्रचलित कलेक्टर दरों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। वहीं डेवलपर और प्रमोटरों को भी नई नीति से राहत मिलने की उम्मीद है। तीन जुलाई को पंजाब मंत्रिमंडल ने पीएपीआर नियमों के नियम-31 में संशोधन को मंजूरी दी थी।

जिला बोर्ड की सेवा अवधि को पेंशन लाभ से बाहर नहीं किया जा सकता : हाई कोर्ट

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन अधिकारों से जुड़े 69 वर्ष पुराने सेवा विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि जिला बोर्ड के अधीन दी गई सेवा को केवल इस आधार पर पेंशन लाभ से बाहर नहीं किया जा सकता कि उस अवधि में कर्मचारी ने कान्ट्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (सीपीएफ) में अंशदान नहीं किया था। अदालत ने कहा कि कर्मचारी की पूर्व सेवा को पेंशन निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए और केवल तकनीकी आधार पर उसे इस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस हरकेश मुनुजा की एकल पीठ ने पंजाब सरकार को दूसरी अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसलों को बरकरार रखा। मामले के अनुसार लुधियाना निवासी हरदयाल सिंह ने 31 अगस्त 1953 से 30 सितंबर 1957 तक जिला बोर्ड के स्कूलों में अपनी सेवाएं दी थीं।

पंजाब में खराब परीक्षा परिणाम पर 68 पिसिपलों से मांगा जवाब

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब के सरकारी स्कूलों में लगातार कमजोर परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए 68 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि जिन स्कूलों का दसवीं और बारहवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम लगातार निर्धारित मानकों से नीचे रहा है, वहां जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस संबंध में संबंधित प्रिंसिपलों से पहले स्पष्टीकरण मांगा गया था और अब उनके जवाबों की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा पूरी होने के बाद विभाग नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

विभागियों अधिकारियों के अनुसार विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार लाना स्कूल प्रमुखों की प्रमुख जिम्मेदारी है। यदि किसी स्कूल में लगातार कमजोर परिणाम सामने आते हैं तो उसके कारणों की गंभीरता से जांच की जाएगी। शिक्षा विभाग का मानना ​​है कि केवल औपचारिक शिक्षण से बेहतर



परिणाम हासिल नहीं किए जा सकते, बल्कि नियमित निगरानी, प्रभावी शैक्षणिक योजना और विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान भी आवश्यक है।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से स्कूलों के परीक्षा परिणाम, विद्यार्थियों की उपस्थिति, कक्षा शिक्षण, शिक्षकों के कार्य

निष्पादन और स्कूल प्रबंधन की नियमित समीक्षा की जा रही है। जिन स्कूलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा, जबकि लगातार कमजोर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों के लिए विशेष सुधार योजना लागू की जाएगी। जरूरत पड़ने पर ऐसे स्कूलों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और विशेष प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। सूत्रों के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश

चंडीगढ़ नगर निगम में जल्द शुरू होगी सीधी भर्ती

कर्मचारियों की भारी कमी दूर करने के लिए निगम सरकारी एजेंसी के माध्यम से करेगा पारदर्शी भर्ती

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

नगर निगम चंडीगढ़ में लंबे समय से कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे विभिन्न विभागों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने नगर निगम के 276 पदों पर सीधी भर्ती संबंधी प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद अब नगर निगम किसी प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और इसमें केंद्र सरकार के सभी आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

नगर निगम के वजेट दस्तावेजों के अनुसार निगम में कुल 5611 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 3767 पद वर्तमान में रिक्त हैं। यानी निगम के 60 प्रतिशत से अधिक पद खाली पड़े हैं। कर्मचारियों की भारी कमी के कारण इंजीनियरिंग, फायर, स्वास्थ्य, प्रवर्तन, लेखा और अन्य कई विभागों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। कई



स्थानों पर नियमित कर्मचारियों के अभाव में सैविदा कर्मियों के सहारे व्यवस्थाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे कार्यों के निष्पादन में देरी भी हो रही है।

प्रस्तावित भर्ती में सबसे अधिक 118 क्लर्क के पद शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 79 फायरमैन, 33 ड्राइवर, 20 जूनियर इंजीनियर, दो सब डिविजनल इंजीनियर, पांच प्रवर्तन सब

बुजुर्गों की उपेक्षा करने वालों के खिलाफ कानून के तहत होगी कार्रवाई

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और कानूनी अधिकारों को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण करना केवल नैतिक दायित्व नहीं, बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी है। यदि संतान या उत्तराधिकारी अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते अथवा उनके भरण-पोषण से इन्कार करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी बुजुर्ग उपेक्षा, असुरक्षा या आर्थिक संकट का सामना न करे।

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार बुजुर्गों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध



कराने और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

मंत्री ने बताया कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 के तहत माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करना उनकी संतान और उत्तराधिकारियों की कानूनी जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति इस दायित्व का पालन नहीं करता है तो संबंधित वरिष्ठ नागरिक उपमंडल अधिकारी के समक्ष शिकायत

दख्न कर सकते हैं। शिकायत प्राप्त होने के बाद मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल मामले की सुनवाई करेगा और कानून के अनुसार आवश्यक आदेश जारी करेगा।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए एल्डर हेल्पलाइन 14567 भी संचालित की है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से बुजुर्ग मानसिक, सामाजिक, कानूनी और अन्य प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए नि:शुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

सेक्टर 78 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दो महीने में तैयार होगा सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली

मोहाली के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सेक्टर-78 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगभग 9 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा 400 मीटर का 8 लेन वाला आधुनिक सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और विभाग को उम्मीद है कि अगले दो महीने के भीतर यह ट्रैक पूरी तरह तैयार होकर खिलाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके शुरू होने के बाद जिले के एथलीटों को अभ्यास के लिए चंडीगढ़ या अन्य शहरों में नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें अपने ही शहर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

ट्रैक के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। मुख्य ट्रैक के अलावा खिलाड़ियों के वार्मअप और अभ्यास के लिए अलग क्षेत्र भी विकसित किया जा रहा है। फिलहाल ट्रैक पर विशेष पेंट



की परत बिछाने के बाद उस पर रबर के गोल आकार के चिप्स डाले जा रहे हैं। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जा रही है ताकि ट्रैक मजबूत सुरक्षित और लंबे समय तक उपयोग के योग्य बन सके। निर्माण कार्य में लगे कर्मचारी परत दर परत सामग्री बिछाकर अंतिम फिनिशिंग देने में जुटे हुए हैं।

इस परियोजना को वर्ष 2025 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन कुछ कारणों से निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो सका। अब अधिकांश काम

जीरकपुर में बिजली तारों में लगी आग बड़ा हादसा टला

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर। बढ़ती गर्मी के बीच बिजली की बढ़ती मांग ने शहर की बिजली व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है। शुक्रवार देर रात जीरकपुर के दो अलग-अलग इलाकों में बिजली की

वहीं दूसरी घटना बलटाना के

तारों से तेज चिंगारियां निकलने और आग की लपटें उठने से लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि बिजली विभाग की तत्परता से समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा होने से बच गया।

पहली घटना भवाल के गुरुदेव

नगर में हुई। यहां बिजली की तारों से अचानक तेज स्पांकिंग शुरू हो गई। तारों से निकलती चिंगारियां देखकर स्थानीय लोग डर गए और कई लोग अपने घरों से बाहर आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था जैसे

आतिशबाजी हो रही हो। घटना के बाद लोगों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और आपूर्ति व्यवस्था को नियंत्रित किया।

वहीं दूसरी घटना बलटाना के बाल लोगों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और आपूर्ति व्यवस्था को नियंत्रित किया।

हम विहार इलाके में सामने आई, जहां ग्रंसफार्मर को जाने वाली बिजली लाइन में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने घटना के वीडियो भी बनाए, जिनमें तारों से निकलती चिंगारियां और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं।

भर्ती से सेवाओं में सुधार

नगर निगम प्रशासन भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने की तैयारी कर रहा है ताकि विभिन्न विभागों में लंबे समय से चल रही कर्मचारियों की कमी को शीघ्र दूर किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार भर्ती पूरी होने के बाद नए कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे वे आधुनिक कार्यप्रणाली और नागरिक सेवाओं से जुड़े मानकों के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। प्रशासन का मानना ​​है कि पर्याप्त संख्या में नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति होने से विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और लंबित कार्यों का समय पर निपटारा संभव होगा। नगर निगम का कहना है कि बढ़ती आबादी और शहर के लगातार विस्तार के कारण नागरिक सुविधाओं की मांग भी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होना बेहद आवश्यक है। नई नियुक्तियों से भवन निर्माण संबंधी अनुमतियों, अग्निशमन सेवाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, जल नििकासी, सड़क रखरखाव और प्रवर्तन कार्यों में सुधार आने की उम्मीद है।

पदों पर भर्ती के लिए पंजाब विश्वविद्यालय को भर्ती एजेंसी बनाया जा। उस प्रक्रिया को पूरा होने में एक वर्ष से अधिक समय लगा था। इस बार भी निगम किसी अनुभवी और विश्वसनीय सरकारी एजेंसी का चयन करेगा। एजेंसी के चयन का बाद भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें नाग्नता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया

और चयन संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि नई भर्ती पूरी होने के बाद विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी काफी हद तक दूर होगी। इससे शहर में सफाई व्यवस्था, अग्निशमन सेवाएं, विकास कार्य, स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।

